फर्द अहकाम
(नियम 26)

2025/250

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**
श्री रोहित चौहान निवासी वार्ड नं. 02 तरतोली तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 44 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.09.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेसपोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड को दिनांक 16.06.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 13.01.2023 को ग्राम तरतोली में नारायण गृह उद्योग के पीछे अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति एवं हटाए गए अतिक्रमणों की वर्गवार कुल संख्या तथा उक्त कार्यवाही में सम्मिलित अधिकारियों के नाम व पद तथा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से पूर्व व्यक्तिगत एवं संस्थाओं को जारी नोटिस की प्रति एवं उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में जिला प्रशासन को प्राप्त शिकायतों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड को दिनांक 16.06.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 13.01.2023 को ग्राम तरतोली में नारायण गृह उद्योग के पीछे अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति एवं हटाए गए अतिक्रमणों की वर्गवार कुल संख्या तथा उक्त कार्यवाही में सम्मिलित अधिकारियों के नाम व पद तथा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से पूर्व व्यक्तिगत एवं संस्थाओं को जारी नोटिस की प्रति एवं उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में जिला प्रशासन को प्राप्त शिकायतों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	